प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकलपीठ: माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 624 / 1998

अपीलार्थी श्रीमती सुधा चौबे

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

दाण्डिक अपील क्रमांक 681 / 1998

अपीलार्थी कन्हैया लाल देवांगन

(अभियुक्त **ज़मानत पर)**

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 9 नवंबर, 2012 को निर्णय की **उद्घोषणा हेतु**

हस्ताक्षरित

मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायामूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकलपीठ: माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 624 / 1998

अपीलार्थी श्रीमती सुधा चौबे

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

दाण्डिक अपील क्रमांक 681 / 1998

अपीलार्थी कन्हैया लाल देवांगन

(अभियुक्त **ज़मानत पर)**

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:-

दाण्डिक अपील क्रमांक. 624/1998

श्री प्रफुल्ल भारत, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री राकेश झा, राज्य की ओर से उप-शासकीय अधिवक्ता।

दाण्डिक अपील क्रमांक 681/1998

श्री विवेक शर्मा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री राकेश झा, राज्य की ओर से उप-शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 9 नवंबर, 2012 को उद्घोषित)

यह आदेश दो दाण्डिक अपील अर्थात दाण्डिक अपील क्रमांक 624 एवं 681/1998 के निराकरण को साबित करेगा।

2. उपरोक्त दोनों दाण्डिक अपीलें, विशेष न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 4/1994 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी श्रीमती सुधा चौबे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (संक्षेप में ''अधिनियम'') की धारा 7, 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अधीन अपराधकारित करने की दोषी पाया गया है तथा उन्हें 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1,500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है और अर्थदण्ड अदान करने पर प्रत्येक अपराध के लिए दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दण्डादेश भुगतना पड़ेगा, तथा अपीलार्थी श्री कन्हैयालाल देवांगन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 सहपठित धारा 12 एवं धारा 13(1)(घ)(1) सहपठित धारा 13(2) तथा धारा 12 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, तथा अर्थदण्ड अदान करने पर प्रत्येक अपराध हेतु दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, जो कि प्रकरण के अभिलेखों एवं विचारण न्यायालय के निर्णय से प्रकट होता है, इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता ओंकार सिंह अभियोजन साक्षी क्रमांक 11 (अ.स.11) महिला एवं बाल कल्याण विभाग को खाद्य सामग्री की आपूर्ति किया करते थे। 39,000/-रूपये के बकाया बिलों के भुगतान की राशि जिला महिला बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

खाद्य सामग्री की आपूर्ति के बिलों के एवज में भुगतान प्राप्त करने हेतु शिकायतकर्ता ओंकार सिंह ने दिनांक 22.06.1992 को अपीलार्थी श्री कन्हैयालाल देवांगन से संपर्क किया। के.एल. देवांगन ने उन्हें बताया कि समस्त बकाया बिल की राशि का 10 प्रतिशत अपीलार्थी श्रीमती सुधा चौबे, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को रिश्वत के रूप में अदा करना होगा, तत्पश्चात ही

भुगतान किया जायेगा । तदोपरांत शिकायतकर्ता ने दिनांक 24.06.1992 को बकाया बिलों के भुगतान के संबंध में अपीलार्थी श्रीमती सुधा चौबे से उनके शासकीय आवास पर भेंट की। उस अवसर पर अपीलार्थी श्रीमती सुधा चौबे ने बकाया भुगतान का 10 प्रतिशत रिश्वत के रूप में मांग की, किन्तु शिकायतकर्ता के अनुरोध पर रिश्वत की राशि 7 प्रतिशत अर्थात् 2,500/- रूपये तय की गई। अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, अपीलार्थी श्रीमती सुधार चौबे ने शिकायतकर्ता को निर्देशित किया कि उक्त राशि दिनांक 25.06.1992 को अपीलार्थी श्री कन्हैयालाल देवांगन को प्रदान की जाए और उक्त राशि की प्राप्ति के उपरांत ही बिलों का भुगतान जारी किया जायेगा। चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत देने के लिए इच्छुक नहीं था, अतः उसके द्वारा लिखित रूप में प्र.पी.-4 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 25.06.1992 को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त, रायपुर में शिकायत प्राप्त होने पर दो पंच साक्षियों को बुलाया गया तथा उनकी उपस्थिति में शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा ट्रैप कार्यवाही में उपयोगार्थ 10/-रूपये (दस रूपये) मूल्य के 25 (पच्चीस) करेंसी नोट प्रस्तुत किए गए, जिनके क्रमांक विधिवत अंकित किए गए है। पंच साक्षियों की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट तथा फिनॉल्फ्थेलीन पाउडर लगाया गया तथा शिकायतकर्ता एवं पंच साक्षियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। ट्रैप दल में सम्मिलित अधिकारियों की संख्या एवं उनके नाम भी अभिलेखित किए गए। संपूर्ण ट्रैप कार्यवाही का पंचनामा प्र.पी.-5 के माध्यम से तैयार किया गया।

अभियोजन पक्ष का यह भी प्रकरण है कि तत्पश्चात ट्रैप दल शिकायतकर्ता एवं पंच साक्षियों के साथ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में पहुंचा, जहां शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी के.एल. देवांगन से अपने लंबित बिलों के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया। इस पर के.एल. देवांगन द्वारा रिश्वत की मांग की गई, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता द्वारा 2,500/-(दो हजार पांच सौ रूपये) की रिश्वत राशि प्रदान की गई, जिसे

के.एल. देवांगन ने ग्रहण किया तथा तत्पश्चात् उक्त राशि अपीलार्थी सुश्री सुधा चौबे को दे दी। अपीलार्थी सुधा चौबे ने उक्त राशि स्वीकार कर अपने बैग में रख ली।

शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व निर्धारित संकेत दिए जाने पर ट्रैप दल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा अपीलार्थी सुधा चौबे को रंगे हाथों पकड़ा गया। उनके हाथों को सोडियम कार्बोनेट केविलयन से धुलवाया गया, जो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया। 2,500/-रू की रिश्वत राशि उनके बैग से कागजात सहित बरामद की गई, तथा उन कागजातों को भी सोडियम कार्बोनेट केविलयन से धुलवाया गया, पर वह भी गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया। शिकायतकर्ता को अदा की गई 39,000/- (उनतालीस हजार रूपये) के बिल की राशि भी जप्त की गई। अभिरंजित करेंसी नोटों के क्रमांक ट्रैप के पूर्व की गई कार्यवाही में अंकित करेंसी नोटों के क्रमांकों से मेल खाते पाए गए। उक्त कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया गया। अपीलार्थी साक्षियों के हाथ धुलाई तथा करेंसी नोटों एवं अन्य दस्तावेजों की धुलाई से प्राप्त विलयन को संकलित कर बोतलों में भरकर विधिवत सीलबंद किया गया। हाथ धुलाई आदि युक्त सीलबंद बोतलों को प्र.पी. 11 के माध्यम से विधि-विज्ञान प्रयोगशाला (संक्षेप में ''एफ.एस.एल.") प्रेषित किया गया तथा प्र.पी. 72 के रूप में एफ.एस.एल. प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें अपीलार्थी के हाथ धुलाई विलयन तथा करेंसी नोटों एवं दस्तावेजों की धुलाई में फिनॉल्फ्थेलीन के अंशों की उपस्थिति दर्शाते हुए सकारात्मक परिणाम अंकित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सामान्य विवेचना संपन्न की गई, जिसके अंतर्गत खाद्य सामग्री आपूर्ति से संबंधित बिलों आदि के अन्य सुसंगत दस्तावेज जप्त किए गए। घटना स्थल का नक्शा भी प्र.पी. 67 के अंतर्गत तैयार किया गया। अभियोजन स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दिनांक 06.11.1993 के आदेशानुसार प्र.पी.-69 के माध्यम से प्रदान की गई।

सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने उपरांत, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दिनांक 30.08.1994 को प्रत्येक अभियुक्त-अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए।

अपीलकर्ता सुधा चौबे के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा दिनांक 30.08.1994 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 तथा धारा 13 (1)(घ) के सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया तथा अपीलकर्ता के.एल. देवांगन के विरूद्ध धारा 7 के साथ सहपाठित धारा 12 तथा धारा 13(1)(घ) के सहपठित धारा 13(2) एवं धारा 12 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया था।

चूंकि अपीलकर्तागण सुधा चौबे एवं के.एल. देवांगन ने अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों को अस्वीकार, अतः उनके विरूद्ध विचारण प्रारंभ किया गया। अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल बारह साक्षियों का परीक्षण कराया गया, जिनके नाम निम्नलिखित है:

अ.स.1- नारायण राव गायकवाड़, अ.स. 2- कुमारी वत्सला सोनी, अ.स. 3- श्रीमती दीप्ति बनर्जी, अ.स. 4- चन्द्रशेखर श्रीवास, अ.स.5- दाऊराम वर्मा, अ.स.6- मृणाल खरे, अ.स. 7- ईश्वरीलाल गुमास्ता, अ.स.8- रामनाथ चौधरी, अ.स.9- धनीराम यादव, अ.स.10- उमेदा टोप्पों, अ.स. 11- ओंकार सिंह एवं अ.स.12-एम.सी.शर्मा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थीगण के विरूद्ध आपत्तिजनक साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के संबंध में उसका परीक्षण किया गया, जिन्हें उन्होंने अस्वीकार किया। अपीलार्थी-सुधा चौबे ने कथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा उनके द्वारा उद्धृतदरों पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति पर जोर दिया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया तथा सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय का प्रस्ताव किया गया था, अतःशिकायतकर्ता ने प्रतिशोधवश झूठे तरीके से फंसाया है। उसके कब्जे से रू. 2,500/- की प्राप्ति एवं जब्ती के संबंध में यह कहा गया कि उक्त राशि उसे अन्य अपीलार्थी के.एल.देवांगन द्वारा वाहन की मरम्मत हेतु प्रदान की गई थी। अपीलार्थी के.एल.देवांगन ने यह प्रतिरक्षा प्रस्तुत किया कि न तो उन्होंने कोई राशि स्वीकार की और नही कोई राशि अपीलार्थी-सुधा चौबे को प्रदान की, तथा नही जीप की मरम्मत हेतु कोई धन राशि दी।

अभियोजन के साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए तथा प्रतिरक्षा को अस्वीकार करते हुए, माननीय विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थियों को आरोपित अपराध का दोषी ठहराया तथा उन्हें उपर्युक्त वर्णित अनुसार दोष सिद्ध किया।

4. दोषसिद्ध एवं दण्डादेश के विरूद्ध पारित आक्षेपित निर्णय की शुद्धता एवं वैधता को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी-सुधा चौबे की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी-सुधा चौबे की दोष सिद्धि विधि की दृष्टि से कायम रखे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष मांग एवं स्वीकृति दोनों को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः जब्ती यदि कोई हो, कोई विधिक महत्व नहीं है।

यह भी तर्क किया गया कि साक्षी ओंकार सिंह (अभियोजन साक्षी क्र. 11) के कथन पर, स्वतंत्र पुष्टिकरण के अभाव में, विश्वास नहीं किया जा सकता विशेषतः तब, जब शिकायत के वर्णित कथन तथा न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दिया गया साक्ष्य, रिश्वत की मांग एवं प्राप्ति की रीति तथा परिस्थितियों के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर परस्पर विरोधाभाषी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उनके अनुसार, शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि रिश्वत देने के पश्चात् बिल का भुगतान किया जाना था, जबकि साक्ष्य में उन्होंने यह कथन किया है कि पहले बिल का भुगतान किया गया और तत्पश्चात् रिश्वत दी गई, जिससे अभियोजन का कथन संदेहास्पद हो जाता है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि केस डायरी कथन (डी-1) से सामना कराएं जाने पर शिकायतकर्ता के साक्ष्य में गभीर विरोधाभाषी एवं महत्वपूर्ण लोप परिलक्षित होते है। अतः स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में शिकायतकर्ता का कथन मनगढ़ंत प्रतीत होता है तथा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

अतिरिक्त रूप से यह निवेदन किया गया है कि छापामार कार्यवाही संपन्न करने वाले अधिकारी ने निष्पक्षता से कार्य नहीं किया तथा दोनों पंच साक्षी-श्रीमती दीप्ति बनर्जी (अभियोजन साक्षी क्र. 3) एवं उमेधा टोप्पों (अभियोजन साक्षी क्र. 10) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उन्हें शिकायतकर्ता के साथ जाने हेतु निर्देशित नहीं किया गया था, जो कि छापामार कार्यवाही में पंच साक्षियों को साथ रखने के मूल उद्देश्य के प्रतिकूल है।

विद्ववान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि किसी भी पंच साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि उन्होंने रिश्वतराशि के लेन-देन को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो अथवा शिकायतकर्ता एवं अपीलार्थी के मध्य हुई किसी वार्ता को सुना हो, जिससे मांग की कहानी का समर्थन किया जा सके तथा स्वतंत्र पंचसाक्षियों के माध्यम से स्वीकृति सिद्ध की जा सके। उनके अनुसार, स्वतंत्र पंचसाक्षियों के माध्यम से स्वीकृति सिद्ध करने के संबंध में उनके अनुसार अभियोजन साक्षी क्रमांक 12 के विशिष्ट साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि पंचसाक्षियों ने शिकायतकर्ता के साथ जाना अस्वीकार कर दिया था। अतः अभियोजन का समस्त प्रकरण संदेहास्पद हो जाता है।

यह भी तर्क किया गया कि अभियोजन ने अपीलार्थी-सुधा चौबे द्वारा रिश्वत की स्वीकृति को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। उनके अनुसार, अपीलार्थी द्वारा रिश्वत राशि स्वीकार किए जाने के संबंध में पंचसाक्षियों के साक्ष्य के अभाव में, शिकायतकर्ता-ओंकार सिंह (अभियोजन साक्षी क्र. 11) के एक मात्र कथन पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे यह निवेदन किया गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जारी रसीद, प्रदर्श पी. क्र. -14 में किसी अन्य केस का क्रमांक अंकित है, अतः यह अत्यंत संदेहास्पद है कि विश्लेषण हेतु प्रेषित सीलबंद बोतलें अपीलार्थी के प्रकरण से संबंधित थी या नहीं। इस कारण यह भी अत्यधिक संदेहास्पद हो जाता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की प्रतिवेदन वास्तव में अपीलार्थी के हस्तप्रक्षालन से संबंधित है या नहीं।

"अपीलार्थी के प्रकरण में एकत्रित किए गए नमूनों के संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अंतर्गत वर्णित किसी विशेषज्ञ द्वारा नहीं, अपितु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर के एक सहायक रासायनिक परीक्षक एवं तकनीकी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई है। अतः दस्तावेज के लेखक द्वारा विधि के अनुसार उक्त अभिलेखों के प्रमाण के अभाव में, उक्त प्रतिवेदन साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता-ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी क्र. 11 की साक्ष्य में केस डायरी कथन, प्रदर्श डी.-1 से प्रति-परीक्षण करने पर जो गंभीर अंतर्विरोध एवं लोप प्रकट होते हैं, वे भी अभियोजन पक्ष की स्वीकृति को संदिग्ध बनाते हैं।''

" तत्पश्चात यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जहां मांग और स्वीकृति संदिग्ध हों तथा अभियोजन पक्ष उसे उचित संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा हो, वहां प्रकरण की परिस्थितियों से पृथक केवल रंग लगी हुई धन राशि की जब्ती मात्र से अपीलार्थी का अपराध प्रमाणित नहीं होता। विशेष रूप से, जब अपीलार्थी-सुधा चौबे ने एक युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय प्रतिवाद प्रस्तुत किया हो, जो पंचसाक्षी श्रीमती दीप्ति बनर्जी, अ.स. 3 के कथन से भी पुष्ट होता है कि उनके कब्जे से जब्त कथित 2,500/-रूपये उन्हेंअपीलार्थी- के.एल.देवांगन द्वारा शासकीय वाहन की मरम्मत हेतु दिए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह प्रतिवाद युक्तियुक्त, विश्वसनीय एवं संभाव्य होने के कारण 2,500/-रूपये की जब्ती की पर्याप्त व्याख्या करता है। अतः इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अपीलार्थी-सुधा चौबे का अपराध उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है, और इसलिए उसे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त होने की हकदार है''

"अपने तर्क के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्ववान अधिवक्ता ने निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों का अवलंबन लिया है -

> ***मोहम्मद इकबाल अहमद बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (1979) 4 scc172, सी.एम.गिरीश बाबू बनाम सी.बी.आई. कोच्चि, केरल उच्चन्यायालय, (2009) 3 scc779, बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य, AIR2010SC1589, टी. सुब्रमणियन बनाम राज्य...."टी.सुब्रमणियन बनाम तमिलनाडु राज्य, 2006 Cr.L.J.804, पंजाब राव बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2004)scc (Cri)1130, महाराष्ट्र राज्य बनाम ज्ञानेश्वर लक्ष्मणराव वानखेड़े, (2009) 15 SCC 200***

तथा आशा वर्मा एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़), (2011) 1CG.L.R.W. 316

"5. अपीलार्थी कन्हैयालाल देवांगन (दाण्डिक अपील क्रमांक 681/1998) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश की वैधानिकता तथा औचित्य को चुनौती दी है कि कन्हैयालाल ने न तो कोई रिश्वत की मांग की और नही उसे स्वीकार किया।

उनके तर्क के अनुसार, कन्हैयालाल को शिकायतकर्ता-ओंकार सिंह के बिल को स्वीकृत करने की कोई प्राधिकारिता अथवा शक्ति प्राप्त नहीं थी, और यह शक्ति केवल सह-अभियुक्त-सुधा चौबे में निहित थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनके विरूद्ध समस्त साक्ष्य केवल यही सिद्ध करते है कि कन्हैयालाल ने शिकायतकर्ता को सह-अभियुक्त-सुधा चौबे की इच्छा से अवगत कराया था कि वह शिकायतकर्ता के लंबित बिलों को स्वीकृति एवं जारी करने के लिए रिश्वत की अपेक्षा रखती है।

उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि स्वयं शिकायतकर्ता-ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी क्र. 11 के कथानुसार भी, अपीलार्थी बार-बार प्रस्तावित की जा रही धनराशि को स्वीकार नहीं कर रहा था, और अंततः शिकायतकर्ता ने धनराशि उसके हाथों में थमादी।

विशेष रूप से, जब अपीलार्थी-सुधा चौबे ने एक युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय प्रतिवाद प्रस्तुत किया हो, जो पंचसाक्षी श्रीमती दीप्ति बनर्जी, अ.स. 3 के कथन से भी पुष्ट होता है कि उनके कब्जे से जब्त कथित 2,500/-रूपये उन्हें अपीलार्थी- के.एल.देवांगन द्वारा शासकीय वाहन की मरम्मत हेतु दिए गए थे।

उनके अनुसार, जब कोई मांग ही नहीं थी, तो इसे रिश्वत की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, स्वयं अपीलार्थी के केस के अनुसार भी, रिश्वत की धनराशि सह-अभियुक्त-सुधा चौबे से जब्त की गई थी, जिनके विरूद्ध अकेले ही मांग का अभिकथन किया गया है। आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि पंचसाक्षी श्रीमती दीप्ति बनर्जी अ.स.क्रमांक 3 एवं उमेधा टोप्पों, अ.स.क्र. 10 ने अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की स्वीकृति के संबंध में कुछ भी कथन नहीं किया है, और न ही

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उन्होंने यह साक्ष्य दिया है कि शिकायतकर्ता एवं अपीलार्थी-कन्हैयालाल के मध्य कोई ऐसी वार्तालाप हुई जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलार्थी-कन्हैयालाल ने रिश्वत स्वीकार की थी। यहां तक कि उमेधा टोप्पों अभियोजन साक्षी क्र. 10 के कथनानुसार भी, शिकायतकर्ता ने उनहें यह सूचित किया था कि मांग सह-अभियुक्त-सुधा चौबे द्वारा की थी।

अंत में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि यह भी मान लिया जाए कि अपीलार्थी-कन्हैयालाल ने मांग का कोई संदेश पहुंचाया तब भी यह शिकायतकर्ता के बिलों को स्वीकृत करने हेतु के आशय अपीलार्थी-कन्हैयालाल द्वारा की गई मांग नहीं मानी जा सकती, क्योंकि बिलों को स्वीकृत करने की शक्ति उसमें निहित नहीं थी।

"6. दोनों अपीलों में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के उत्तर में, विद्वान राज्य अभिभाषक ने तर्क दिया कि मांग के आरोपों को शिकायतकर्ता-ओंकार सिंह, अ.स.क्रमांक 11 की विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः एवं प्रभावी रूप से सिद्ध किया गया है।

यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख पर ऐसे अभिभावी साक्ष्य उपलब्ध है जो यह दर्शाते हैं कि शिकायतकर्ता खाद्य सामग्री की अपूर्ति करता था और अपीलार्थी-सुधा चौबे के कार्यालय में अनेक बिल लंबित थे, जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्श पी.16 से पी.62 के रूप में अभिलेख पर लाया गया। अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में भी सफल रहा है कि घटना की तिथि पर 2,500/-रूपये की राशि अपीलार्थी द्वारा कन्हैयालाल को सौंपी गई तथा अपीलार्थी-सुधा चौबे के कब्जे से जब्त की गई।

उनके तर्क के अनुसार, अपीलार्थी-सुधा चौबे नें 2,500/-रूपये प्राप्त करना स्वीकार किया है, किन्तु ऐसी कब्जेदारी के लिए कोई युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में असफल रही है। अतः अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उपधारणा तत्काल आकृष्ट होती है और रिश्वत की स्वीकृति भी सिद्ध मानी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राज्य के विद्ववान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी का स्पष्टीकरण एवं प्रतिवाद पूर्णतः पश्चात्कल्पित, अंतर्विरोधी है तथा किसी भी प्रकार से विश्वसनीय नहीं है। विशेष रूप से इसलिए कि दोनों अभियुक्तों के कथनों के मध्य गंभीर अंतर्विरोध विद्यमान है।

7. सी.के. दामोदरन नायर बनाम भारत सरकार, (1997) 9 एस.सी.सी. 477 के वाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) [जो अब अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) है] में प्रयुक्त "अभिप्राप्त" शब्द के अर्थ एवं आशय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ, और यह अभिनिर्धारित किया गया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 483, कंडिका 12)

"12. तथापि, जहाँ तक अधिनियम की धारा 5(1)(घ) को सहपठित धारा 5(2) के सहपठित के अपराध का संबंध है स्थितियां भिन्न होगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऐसे अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि अभियुक्त ने भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा अथवा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ 'अभिप्राप्त' किया, और वह भी अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत सांविधिक उपधारणा की सहायता के बिना, क्योंकि यह उपधारणा केवल धारा 5(1)(क) एवं (ख) के अधीनअपराधों पर लागू होती है — न कि धारा 5(1) (ग), (घ) या (ड) के अधीन अपराधों पर।

अभिप्राप्त करना का अर्थ है — अनुरोध या प्रयास के परिणामस्वरूप किसी वस्तु को प्राप्त करना या अर्जित करना।

अभिप्राप्ति के केस में पहल उस व्यक्ति में निहित होती है जो प्राप्त करता है, और इस संदर्भ में उसकी ओर से की गई माँग या अनुरोध धारा 5(1) (घ) के अधीन अपराध के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता होगी। अधिनियम की धारा 5(1)(घ) के अधीन अपराध के विपरीत, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अधीन अपराध, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 'स्वीकृति' अथवा 'अभिप्राप्ति' में से किसी एक के प्रमाण द्वारा स्थापित किया जा सकता है।"

"उपरोक्त निर्णय पर आश्रय लेते हुए, ए. सुबेर बनाम केरल राज्य, (2009) 6 एस.सी.सी. 587के वाद में एक अन्य निर्णय में, पृष्ठ 591 के कंडिका 15 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"15.....यह विधिक स्थिति अब अनिर्णित नहीं रह गया है कि धारा के अधीन अपराध की प्राथमिक आवश्यक अधिनियम की धारा 13(1) (घ) के अधीन अपराध के लिए लोक सेवक द्वारा मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ की माँग या अनुरोध का प्रमाण आवश्यक है।

दूसरे शब्दों में, लोक सेवक द्वारा मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ के लिए माँग या अनुरोध के प्रमाण के अभाव में, धारा 13(1) (घ) के अधीन अपराध स्थापित नहीं माना जा सकता।"

"अतः, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि क्या दोषसिद्धि का प्रकरण बनता है, यह देखना आवश्यक है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा रिश्वत की माँग एवं स्वीकृति को उचित संदेह से परे सिद्ध किया है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. रिश्वत देने वाले व्यक्ति की स्थिति तथा किसी शासकीय सेवक को फँसाने वाली उसकी साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अपेक्षित सावधानी का परीक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम.ओ. शम्सुद्दीन बनाम केरल राज्य, (1995) 3 एस.सी.सी. 351 के वाद में अपने पश्चवर्ती निर्णय में किया गया, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:"

"12. रिश्वतखोरी के केस तक अपने आप को सीमित रखते हुए, यह सामान्यतः स्वीकृत है कि किसी लोक सेवक को रिश्वत देने वाला व्यक्ति, अवैध परितोषण स्वीकार करने के अपराध में सहयोगी की प्रकृति का होता है, किन्तु ऐसे केस में अपेक्षित संपुष्टि को उन्हीं कठोर परीक्षणों के अधीन नहीं किया जाना चाहिए जो सामान्यतः किसी अनुमोदक के मामले में लागू किए जाते हैं।

यद्यपि रिश्वत देने वाले व्यक्तियों को सामान्यतः सहयोगियों की प्रकृति का माना जाता है, तथापि उनमें विभिन्न प्रकार एवं श्रेणियाँ होती हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में, शिकायतकर्ता वह व्यक्ति होता है जो तकनीकी एवं विधिक अर्थ में रिश्वत देता है, क्योंकि प्रत्येक ट्रैप प्रकरण में, जहाँ भी शिकायत प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिए..."

जो अभियुक्त को धन दे, जो वास्तव में वह रिश्वत की राशि होती है जिसकी माँग की गई है, और ऐसे धन के दिए बिना ट्रैप सफल नहीं हो सकती।

जब किसी लोक सेवक द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से माँग की जाती है जो रिश्वत देने को तैयार नहीं है, और यदि वह व्यक्ति लोकहित की भावना से प्रेरित होकर अधिकारियों के पास जाकर शिकायत दर्ज कराता है, तो ट्रैप को सफल बनाने हेतु उसे वह धनराशि देनी ही पड़ती है।

एक अन्य प्रकार का रिश्वतदाता भी हो सकता है जो अपना कार्य करवाने के लिए सदैव धन देने को तत्पर रहता है और कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात् शिकायत दर्ज करा देता है। ऐसा व्यक्ति किए गए अपराध के संदर्भ में अपराध में सहभागी होता है और इस प्रकार वह एक सहयोगी है।

इस प्रकार सहयोगियों की विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं और इसीलिए उन प्रकरणों के मध्य विभेद किया जा सकता है जहाँ कोई व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयोजन की सिद्धि हेतु रिश्वत देता है तथा उन प्रकरणों के मध्य जहाँ कोई व्यक्ति हानि या क्षति की धमकी के अधीन, अर्थात प्रपीड़न के अंतर्गत रिश्वत देने के लिए विवश किया जाता है।

जो व्यक्ति इस श्रेणी में आता है और जो जाल बिछाने में पक्षकार बनता है, वह एक भिन्न“ऐसा व्यक्ति, जिसे धमकी या दबाव के कारण रिश्वत देने के लिए विवश किया गया हो, उसे उसी आधार पर पूर्ण रूप से अपराध में सहभागी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह केवल उस धमकी या दबाव का शिकार होता है जिसके अधीन उसे कार्य करना पड़ा। तथापि, जहाँ ऐसे साक्षी रिश्वत देने के कारण ‘सह-अभियुक्त’ की श्रेणी में आते हैं, वहाँ प्रथम दृष्टया न्यायालय को उनकी सहभागिता की सीमा एवं प्रकृति पर विचार करना होगा, और तत्पश्चात, यदि आवश्यक समझा जाए, तो सावधानी के नियम के रूप में उनके कथनों के समर्थन में पुष्टि की अपेक्षा करनी होगी। किसी मामले में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपेक्षित पुष्टिकरण की मात्रा और प्रकृति उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न हो सकती है।''

"अतः, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से यह निष्कर्ष उभरकर सामने आता है कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना आवश्यक है। न्यायालय को यह भी विचार करना होगा कि कथित कृत्य में उसकी संलिप्तता की सीमा क्या है, और तत्पश्चात सावधानी के सिद्धांत के रूप में, यदि आवश्यक हो, तो उसके साक्ष्य के समर्थन में पुष्टि की खोज करनी होगी। किसी प्रकरण में अपेक्षित पुष्टिकरण की मात्रा तथा प्रकृति, उस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भिन्न-भिन्न हो सकती है।''

अभिलेख पर अभियोजन पक्ष द्वारा तथा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की, अतः, सूक्ष्म परीक्षण किया जाना आवश्यक है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि अभियोजन पक्ष माँग, स्वीकृति एवं वसूली को उचित संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9.शिकायत, प्रदर्श पी.-4, ओंकार सिंह द्वारा, जो वर्तमान प्रकरण के शिकायतकर्ता हैं, सिद्ध किया गया है।

उन्होंने अपने कथन के कंडिका 2 में साक्ष्य दिया है कि वर्ष 1991-92 में, निविदा स्वीकृति के अनुसरण में, उन्होंने जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय को खाद्य सामग्री की आपूर्ति की थी तथा 39,000/-रुपये का बिल बकाया था।

उन्होंने आगे कंडिका 3 में साक्ष्य दिया है कि जब वे अपीलार्थी कन्हैया लाल से मिले, तो उन्हें सूचित किया गया कि आवंटन नहीं हुआ है; तत्पश्चात् कुछ दिनों के बाद पुनः मिलने पर उन्हें बताया गया कि आवंटन आ गया है और तत्पश्चात् बिल तैयार किए गए जो कोषागार को भेजे गए और कोषागार से होते हुए कार्यालय में आए।

अपने कथन के कंडिका 4 में, शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से अभिकथन किया है कि जब वे बकाया बिलों के भुगतान के संबंध में कार्यालय में उपस्थित हुए, तो अपीलार्थी कन्हैया लाल ने उन्हें बताया

कि संपूर्ण राशि बैंक से प्राप्त हो चुकी है, किन्तु उन्हें सह-अभियुक्तसुधा चौबे द्वारा बताए अनुसार बिल की कुल राशि का 10% रिश्वत के रूप में अदा करना होगा। तत्पश्चात शिकायतकर्ता ओंकार सिंह ने सुधा चौबे से भेंट की और बिल राशि के 10% की माँग को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उनके बारंबार अनुरोध पर, अभियुक्त सुधा चौबे बिल की कुल राशि के 7% पर सहमत हो गई और उसने शिकायतकर्ता को अपीलार्थी कन्हैयालाल के पास 2,500/-रुपये जमा कराने को कहा, जिसके उपरांत उनके बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा।

शिकायतकर्ता ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी-11 का यह कथन तथा शिकायत पत्र प्रदर्श पी. -4 में उनके द्वारा कही गई बातें पूर्णतः सुसंगत हैं तथा माँग से संबंधित सारवान तथ्यों में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं है।

उनके प्रतिपरीक्षण के कंडिका 13 में भी उन्होंने शिकायतकर्ता ओंकार सिंह ने सुधा चौबे से भेंट की और बिल राशि के 10% की माँग को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उनके बारंबार अनुरोध पर, अभियुक्त सुधा चौबे बिल की कुल राशि के 7% पर सहमत हो गई और उसने शिकायतकर्ता को अपीलार्थी कन्हैयालाल के पास 2,500/-रुपयेजमा कराने को कहा, जिसके उपरांत उनके बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिकायतकर्ता ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी-11 का यह कथन तथा शिकायतप्रदर्श पी.-4 में उनके द्वारा कही गई बातें पूर्णतः सुसंगत हैं तथा माँग से संबंधित सारवान तथ्यों में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं है।

उनके प्रतिपरीक्षण के कंडिका 13 में भी उन्होंने..साक्ष्य दिया है कि वे अपीलार्थी सुधा चौबे से उसके आवास पर मिले, तत्पश्चात् अपीलार्थी कन्हैयालाल ने उन्हें रिश्वत की माँग के संबंध में अवगत कराया।

उन्होंने इस सुझाव का विशेष रूप से खण्डन किया है कि बिल की राशि का 7% लेने के पश्चात् भुगतान के संबंध में कोई बात नहीं हुई थी, तथा यह भी बताया कि जब भी वे बिल के भुगतान हेतु आएँ, रिश्वत की राशि साथ लेकर आएँ।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने शिकायतकर्ता ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षीक्र.-11 के साक्ष्य के कंडिका 16 एवं 17में उल्लिखित अंतर्विरोधों एवं लोपों पर पर्याप्त बल देते हुए यह निवेदन किया है कि उक्त अंतर्विरोध एवं लोप इतने सारवान हैं कि वे शिकायतकर्ता के साक्ष्य को अत्यंत संदिग्ध बना देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में माँग की कहानी की स्वतंत्र संपुष्टि के बिना अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास करना असुरक्षित होगा।

सर्वप्रथम, ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी क्रमांक-11 के साक्ष्य के कंडिका 16 एवं 17 में उनके डायरी कथन, प्रदर्श डी. -1 के संबंध में उल्लिखित अंतर्विरोधों एवं लोपों की प्रकृति ऐसी नहीं है कि वे शिकायतकर्ता के साक्ष्य को सर्वथा अविश्वसनीय बना दें।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

माँग के संदर्भ में, डायरी कथन में, न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन में तथा शिकायत पत्र प्रदर्श पी. -4 में कही गई बातें सुसंगत हैं और सारवान अंतर्विरोध एवं लोप से ग्रसित नहीं हैं।

डायरी कथन प्रदर्श डी.-1 में भी शिकायतकर्ता ने कथन किया है कि जब वे कार्यालय में संपर्क करने गए, तो अपीलार्थी कन्हैयालाल ने उन्हें बताया कि उन्हें अपीलार्थी सुधा चौबे को 10% रिश्वत राशि अदा करनी होगी, किन्तु बाद में उसने बिल राशि के 7% पर स्वीकृति दे दी और उन्हें कहा कि यह राशि अपीलार्थी कन्हैयालाल को दे दें, तत्पश्चात् उनका भुगतान कर दिया जाएगा।

अतः, माँग के भाग के संबंध में कोई अंतर्विरोध नहीं है और शिकायतकर्ता ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी क्रमांक-11 की साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करने योग्य है तथा स्वीकार किए जाने के योग्य है।

यद्यपि अपीलार्थी सुधा चौबे ने यह प्रकरण प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी क्रमांक-11 के पास उससे शत्रुता रखने का कारण था, क्योंकि वह शिकायतकर्ता

ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी क्रमांक-11 द्वारा प्रस्तावित दर पर आपूर्ति स्वीकार नहीं कर रही थी और जिलाध्यक्ष के माध्यम से अन्य दुकान से आपूर्ति प्राप्त करने लगी थी, तथापि अपीलार्थी सुधा चौबे द्वारा इस संबंध में अभिलेख पर कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

न तो जिलाध्यक्ष का कोई आदेश अभिलेख पर रखा गया है और न ही अपीलार्थी सुधा चौबे ने यह सिद्ध करने के लिए कि शिकायतकर्ता ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी क्रमांक-11 से आपूर्ति परिवर्तित की गई थी और किसी सहकारी समिति से प्राप्त की जा रही थी, किसी सारवान साक्षी का परीक्षण कराया है।

यह सत्य है कि अभियुक्त पर साक्ष्य का भार अभियोजन पक्ष की तुलना में उतना भारी नहीं होता, तथापि यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि प्रतिरक्षा का परीक्षण संभाव्यताओं की प्रधानता की कसौटी पर किया जाना चाहिए और स्वीकार किए जाने हेतु यह युक्ति संगत एवं विश्वसनीय होनी चाहिए। अपीलार्थी की प्रतिरक्षा उपरोक्त वर्णित प्रकृति की सामग्री के अभाव में इसे संतुष्ट करने में असफल रहती है। अतः, ऐसा कोई सारवान आधार नहीं है जो यह स्पष्ट रूप से भी सुझाए कि शिकायतकर्ता की अपीलार्थी के विरुद्ध किसी शत्रुता के कारण मिथ्या फँसाने का कोई तुक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः, मिथ्या फँसाने के किसी ऐसे कारण के अभाव में, अपीलार्थी सुधा चौबे के संबंध में माँग के विषय में शिकायतकर्ता ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी क्रमांक-11 की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम.ओ.शमसुद्दीन (पूर्वोवत) के प्रकरण में प्रतिपादित विधि को लागू करते हुए, वर्तमान प्रकरण ऐसा नहीं है जहाँ शिकायतकर्ता पूर्व में रिश्वत देता रहा हो और तत्पश्चात् अचानक शिकायत दर्ज कराने लगा हो।

अतः, वर्तमान परिस्थितियो में जब माँग के प्रथम अवसर पर ही शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए प्रतिवेदन दर्ज कराया कि वह रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं है। शिकायतकर्ता पीड़ित की श्रेणी में आता है तथा उसकी कथित संलिप्तता की प्रकृति को देखते हुए अधिक से अधिक उसे हितबद्ध साक्षी कहा जा सकता है, न कि अपराध में सहभागी।

वर्तमान केस की विशिष्ट परिस्थितियों तथा शिकायतकर्ता के सत्यनिष्ठ कथन को दृष्टिगत रखते हुए, रिश्वत की मांग को बिना किसी अतिरिक्त पुष्टिकरण की आवश्यकता के सिद्ध माना जा सकता है। यदि मांग के संबंध में किसी महत्वपूर्ण तथ्य पर गंभीर विरोधाभास अथवा विलोपन पाई जाती, या पक्षकारों के बीच पूर्व से किसी शत्रुता का इतिहास होता, अथवा कोई अन्य विशेष कारण विद्यमान होता, तो संभवतः पुष्टिकरण की आवश्यकता होती।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि दो पंच साक्षी—श्रीमती दीप्ति बनर्जी (अ.स. 3) तथा उमैधा टोप्पो (अ.स. 10)—ने अपीलकर्ता सुधा चौबे द्वारा की गई मांग के संबंध में अभियोजन के केस का समर्थन नहीं किया है।

यह सत्य है कि उक्त दोनों पंच साक्षियों—श्रीमती दीप्ति बनर्जी (अ.स.3) एवं उमैधा टोप्पो (अ.स.10)—ने अपीलकर्ता सुधा चौबे और शिकायतकर्ता के मध्य हुई किसी भी बातचीत को नहीं सुना। तथापि, उपर्युक्त विवेचना के आलोक में यह कहा जा सकता है कि पुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव मात्र से शिकायतकर्ता ओंकार सिंह की साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जाना उचित नहीं होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. स्वीकृति के भाग के संबंध में, अपीलार्थी सुधा चौबे ने 2,500/-रुपये प्राप्त करना अत्यंत स्पष्ट रूप से स्वीकार एवं अभिस्वीकृत किया है, किन्तु वह स्पष्टीकरण लेकर आई है।

अतः, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी सुधा चौबे ने रिश्वत की राशि को हाथों में लिया।

एक बार जब माँग सिद्ध हो जाती है और अपीलार्थी-अभियुक्त करेंसी नोट प्राप्त करना स्वीकार कर लेता है, तो अधिनियम की धारा 20के अंतर्गत यह सांविधिक उपधारणा उत्पन्न होती है कि वह धनराशि अवैध परितोषण के रूप में स्वीकार की गई है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा इसका खण्डन न किया जाए।

संभाव्यताओं की प्रधानता की कसौटी पर युक्तिसंगत एवं विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके।

वर्तमान परिस्थितियों में अपीलकर्ता सुधा चौबे द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण अत्यंत असंभाव्य प्रतीत होता है। अपीलकर्ता सुधा चौबे का यह प्रतिरक्षा है कि ₹2,500/- की राशि अन्य अपीलकर्ता कन्हैयालाल देवांगन द्वारा वाहन की मरम्मत हेतु उसे दी गई थी।

प्रथम दृष्टया, यह अन्य अपीलकर्ता का प्रकरण ही नहीं है और उसने विशेष रूप से इस बात को अस्वीकार किया है कि उसने ₹2,500/- की राशि अपीलकर्ता सुधा चौबे को सौंपी थी।

द्वितीयतः, अपीलकर्ता सुधा चौबे की ओर से ऐसा कोई भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वाहन की मरम्मत की आवश्यकता थी तथा उस उद्देश्य के लिए कार्यालय में उपलब्ध निधि से कोई अग्रिम राशि आहरित की गई थी। यहाँ तक कि वाहन के संबंधित चालक अथवा किसी भी मैकेनिक को भी यह स्थापित करने के लिए परीक्षित नहीं किया गया कि वाहन में कोई यांत्रिक दोष था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः यह स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से सोच समझकर दिया जाना प्रतीत होता है। हालांकि, अपीलकर्ता सुधा चौबे की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तत्काल दिए गए स्पष्टीकरण से यह सिद्ध होता है कि उक्त राशि वाहन की मरम्मत हेतु प्राप्त की गई थी, जैसा कि पंच साक्षी श्रीमती दीप्ति बनर्जी (अ.स.3) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 3 में कहा है। तथापि, उपर्युक्त रूप से की गई विवेचना के आधार पर यह स्पष्टीकरण किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस पहलू का भली-भांति परीक्षण किया है और उक्त स्पष्टीकरण को असंभाव्य मानते हुए अस्वीकार कर दिया है।

अपीलकर्ता सुधा चौबे की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि रिश्वत की मांग तथा उसके स्वीकार किए जाने की घटनाक्रम के संबंध में गंभीर विरोधाभास विद्यमान है। इस संदर्भ में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि शिकायत तथा डायरी कथन (प्रदर्श डी.-1) के अनुसार यह स्थापित हुआ था कि पहले रिश्वत की राशि दी जाएगी और उसके पश्चात बकाया बिलों का भुगतान किया जाएगा।

किन्तु शिकायतकर्ता ओंकार सिंह (अ.स.11) के साक्ष्य में विरोधाभास पाया जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि बिल के विरुद्ध देय राशि का भुगतान पहले कर दिया गया था। इसके पश्चात रिश्वत

ली गई। शिकायतकर्ता ओंकार सिंह (अ.स.11) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 8 एवं 9 में रिश्वत दिए जाने तथा अपीलकर्ता कन्हैयालाल द्वारा 39,000/- रूपये प्राप्त किए जाने के संबंध में बयान दिया है। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 15 में उसने यह कहा है कि बिलों पर हस्ताक्षर होने के पश्चात उसका भुगतान तत्काल जारी कर दिया गया और तत्पश्चात उसने 2,500/- रूपये की राशि अपीलकर्ता कन्हैयालाल देवांगन को सौंप दी।

यद्यपि, उसके बयान के कंडिका 16 एवं 17 में इस बात को लेकर कुछ विसंगतियां इंगित की गई है कि बकाया बिलों के विरुद्ध भुगतान किए जाने तथा रिश्वत दिए जाने का क्रम क्या था, तथापि शिकायतकर्ता ओंकार सिंह (अ.स.11) द्वारा दिए गए डायरी कथन का अवलोकन करने के उपरांत मेरा विचार है कि उक्त विसंगती इतनी गंभीर प्रकृति की नहीं है कि रिश्वत स्वीकार किए जाने की संपूर्ण कथन को अविश्वसनीय ठहराया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता सुधा चौबे ने 2,500/- रूपये की राशि प्राप्त किए जाने की बात स्वीकार एवं अभिस्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र पंच साक्षियों के साक्ष्य भी श्रीमती दीप्ति बनर्जी, अभियोजन साक्षी-3 एवं उमेधा टोप्पो, अभियोजन साक्षी-10 ने बिना किसी संदेह के सिद्ध किया है कि2,500/-रुपयेके चालू नोट अपीलार्थी सुधा चौबे के कब्जे से जब्त किए गए थे।

वस्तुतः, अपीलार्थी सुधा चौबे ने यह स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है कि उसने वह राशि किस प्रकार प्राप्त की, न कि यह कि उसने राशि की प्राप्ति को सर्वथा अस्वीकार किया हो।

अतः, केवल इस कारण से कि रिश्वत दिए जाने एवं बकाया बिलों के विरुद्ध भुगतान प्राप्त होने के क्रम के संबंध में कोई विसंगति है, रिश्वत की स्वीकृति की कहानी, विशेषतः2,500/-रुपये प्राप्त करने की अभिस्वीकृति की पृष्ठभूमि में, संदिग्ध नहीं की जा सकती।

माँग के अतिरिक्त, करेंसी नोटों की बरामदगी अपीलार्थी सुधा चौबे से करेंसी नोटों की जब्ती के प्रमाण द्वारा अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय रूप से सिद्ध की है, जिसे पंच साक्षी श्रीमती दीप्ति

बनर्जी, अभियोजन साक्षी-3 एवं उमेधा टोप्पो, अभियोजन साक्षी-10, जिन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है किरुपये 2,500/-अपीलार्थी सुधा चौबे के बैग से बरामद किए गए थे, जिसे उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रदर्श पी. -6के तहत जब्त किया गया था।

श्रीमती दीप्ति बनर्जी, अभियोजन साक्षी क्रमांक-3 की साक्ष्य के इस भाग का भी खण्डन नहीं किया गया है।

उमेधा टोप्पो, अभियोजन साक्षी-10 ने भी अपनी साक्ष्य के कंडिका 5 में अपीलार्थी सुधा चौबे द्वारा रखी गई रिश्वत की राशि की बरामदगी के संबंध में कथन किया है, जिसमें से उसके कब्जे से100/- रुपये के 25 नोट बरामद किए गए थे। उसने बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी.-6 पर अपने हस्ताक्षर सिद्ध किए हैं।

अतः, अपीलार्थी सुधा चौबे से करेंसी नोटों की बरामदगी एवं बरामदगी को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर अत्यधिक साक्ष्य उपलब्ध है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि प्रदर्श पी.-4, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिवेदन में भिन्न संख्या अंकित है। यह संशय प्रदर्श पी.-15के मात्र अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-72 की ग्राह्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उक्त प्रतिवेदन सहायक सांख्यिकीय परीक्षक द्वारा लिखी गई थी, न किदण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 की उपधारा (4) के खण्ड (ड) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा, तथापि अन्वेषण अधिकारी एम. सी. शर्मा, अभियोजन साक्षी क्रमांक -12 के परीक्षण के समय प्रतिवेदन की ग्राह्यता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

यदि उस चरण पर ऐसी आपत्ति उठाई गई होती, तो अभियोजन पक्ष को उस संबंधित अधिकारी का परीक्षण कराने का अवसर प्राप्त होता, जिसने प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया था । तथापि, 2,500/-रुपये की स्वीकृति के स्पष्टीकरण सहित तथा अपीलार्थी सुधा चौबे के कब्जे से 2,500/-

रुपये की बरामदगी के पर्याप्त प्रमाण को दृष्टिगत रखते हुए, जो पंच साक्षियों श्रीमती दीप्ति बनर्जी, अभियोजन साक्षी- 3 एवं उमेधा टोप्पो, अभियोजन साक्षी-10 की विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है, इस बिंदु पर अभियोजन पक्ष का केस स्वीकृति एवं बरामदगी के बिंदु पर अभियोजन पक्ष के केस को केवल उसी आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता।

यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मोहम्मद इकबाल अहमद (पूर्वोवत) तथा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम जियालाल, (2009) 15 एस.सी.सी. 72 के केस में दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए यह निवेदन किया कि अभियोजन स्वीकृति विवेक के समुचित प्रयोग के बिना प्रदान की गई है, तथापि स्वीकृति आदेश प्रदर्श पी.-69 के अवलोकन के पश्चात् यह परिलक्षित होता है कि सक्षम प्राधिकारी ने अभियोजन पक्ष द्वारा संकलित एवं उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात् अपने विवेक पूर्व प्रयोग किया तथा स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व संतुष्टि अभिलिखित की। अतः, उक्त निर्णयतथ्यों के आधार पर भिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इसके विपरीत, मध्य प्रदेश राज्य बनाम जियालाल (पूर्वोवत) के प्रकरण में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत, केवल उसी आधार पर दोषसिद्धि को अपास्त नहीं किया जा सकता, जबकि अपीलार्थी कोई क्षति सिद्ध करने में असफल रहा हो।

इसके अतिरिक्त, धनीराम यादव, अभियोजन साक्षी-9की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित अभिलेख सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे तथा आदेश उनके निदेश पर तैयार किया गया था।

14. अपीलार्थी के.एल. देवांगन के संबंध में, उन्हें अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 13(1)(घ)के अंतर्गत अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

15. अधिनियम की धारा 12,अधिनियम कीधारा 7 या धारा 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। यह उपबंधित करती है कि जो कोई भी धारा 7 या धारा 11 के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण

के परिणामस्वरूप कारित हुआ हो अथवा नहीं, वह कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक विस्तारित हो सकती है, और वह अर्थदण्ड के लिए भी दायी होगा।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुष्प्रेरण को परिभाषित नहीं किया गया है, अतः, दुष्प्रेरण का अर्थ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 में निहित उपबंधों से ग्रहण किया जाना आवश्यक है।

16. भारतीय दण्ड संहिता कीधारा 107 यह परिभाषित करती है कि दुष्प्रेरण क्या है, और उक्त परिभाषा के अनुसार इसमें तीन खण्ड हैं, और यदि किसी व्यक्ति का कार्य उनमें से किसी एक के परिधि में आता है, तो वह दुष्प्रेरण की कोटि में आता है और इस प्रकार उक्त अपराध के लिए या तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत अथवा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दण्डनीय होता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वर्तमान प्रकरण के प्रयोजनों हेतु, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 के प्रथम एवं द्वितीय खण्ड सुसंगत नहीं हैं और केवल तृतीय खण्ड का ही परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य के करने का दुष्प्रेरण करता है, जो किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा अथवा "उस कार्य को करने" में जानबूझकर सहायता करता है।

"सहायता" शब्द को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 से संलग्न स्पष्टीकरण के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है:-

स्पष्टीकरण-2. "जो कोई भी, किसी कार्य के किए जाने से पूर्व अथवा उसके किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कुछ भी करता है, और उसके द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, तो वह उस कार्य के किए जाने में सहायता करना कहा जाता है।"

17. दुष्प्रेरण से संबंधित उपर्युक्त उपबंध के प्रकाश में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण किया जाना आवश्यक है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि अपीलार्थी के. एल. देवांगन की दोषसिद्धि विधि के अनुसार है अथवा नहीं।

18. शिकायतकर्ता द्वारा प्रदर्श पी.-4 में दायर किए गए लिखित शिकायत में यह स्पष्ट रूप से अभिकथित किया गया है कि जब शिकायतकर्ता दिनांक 22-06-1992 को अपीलार्थी के. एल. देवांगनसे मिले, तो उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता को बिल राशि का 10% अपीलार्थी सुधा चौबे को रिश्वत के रूप में अदा करना होगा, तभी 38,998/-रुपये का भुगतान जारी किया जाएगा।

शिकायत पत्र में यह भी कथित किया गया है कि जब शिकायतकर्ता दिनांक 24-06-1992 को अपीलार्थी सुधा चौबे के आवास पर उनसे मिले, तो अपीलार्थी सुधा चौबे ने रिश्वत की माँग की, जो बकाया बिलों के विरुद्ध देय कुल राशि के 7% पर तय हुई। तत्पश्चात् उसने शिकायतकर्ता को वह रिश्वत राशि अपीलार्थी के. एल. देवांगन को देने को कहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपने साक्ष्य में ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी-11 ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जब वे कार्यालय में अपीलार्थी के. एल. देवांगनसे मिले, तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपीलार्थी सुधा चौबे द्वारा बताए अनुसार बिल राशि का 10% अदा करना होगा। उन्होंने आगे कथन किया कि जब वे अपीलार्थी सुधा चौबे से मिले, तो उसने उन्हें 2,500/-रुपये की रिश्वत राशि अपीलार्थी के. एल. देवांगन को देने को कहा।

अतः, यह स्पष्ट है कि माँग के प्रारंभ से ही अपीलार्थी के. एल. देवांगन संलिप्त थे। शिकायतकर्ता ओंकार सिंह, अभियोजन साक्षी-11 की विश्वसनीय एवं भरोसेमंद साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी के.एल. देवांगन ही वह व्यक्ति था जो अन्य अपीलार्थी सुधा चौबे की सहायता प्रदान करने में कार्य कर रहा था और उसके माध्यम से माँग की गई थी। यह महत्वपूर्ण साक्ष्य दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्वको सिद्ध करती है, अर्थात् अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहायता करने का

कार्यभारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 के स्पष्टीकरण-2 में आए "सहायता" शब्द के अर्थ को दृष्टिगत रखती है।

19. अपनी साक्ष्य के कंडिका 8 में, शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जब वे रिश्वत की राशि लेकर कार्यालय में अपीलार्थी के. एल. देवांगन से मिले और उन्हें सूचित किया कि वे धनराशि लेकर आए हैं, तत्पश्चात् अपीलार्थी के. एल. देवांगन ने बिल निकाले और अभिस्वीकृति प्राप्त की, और उसी समय अपीलार्थी सुधा चौबे वहाँ आई, जिसने शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि अपीलार्थी के.एल. देवांगन को सौंपने को कहा।

उपर्युक्त साक्ष्य स्पष्ट रूप से समस्त संदेह से परे यह स्थापित करती है कि अपीलार्थी के. एल. देवांगन पूर्णतः संलिप्त था और वास्तव में, वह अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहायता करने में अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, अन्यथा अपीलार्थी सुधा चौबे के लिए यह सुझाव देने का कोई कारण नहीं था कि रिश्वत की राशि के.एल. देवांगन को सौंपी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है, जिससे अपीलार्थी के.एल. देवांगन द्वारा अपराधों के किए जाने में जानबूझकर सहायता करने के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

अपीलार्थी के. एल. देवांगन को रिश्वत की राशि सौंपे जाने की स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है। यद्यपि साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि प्रारंभ में शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी के.एल. देवांगन को धन देने का प्रयास किया, किन्तु उसने नहीं लिया, तथापि साथ ही उसने शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि अपीलार्थी सुधा चौबे को देने का सुझाव दिया, और जब वह पुनः सुधा चौबे से मिला, तो उसने शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि अपीलार्थी के. एल. देवांगन को सौंपने को कहा, तत्पश्चात् रिश्वत की राशि अपीलार्थी के.एल. देवांगन को दी गई, जिसने उसे स्वीकार किया। शिकायतकर्ता ने अपनी साक्ष्य के कंडिका 8 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि रिश्वत की राशि अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी सुधा चौबे के कार्यालय में ले जाई गई थी।

रिश्वत की राशि की बरामदगी उपर्युक्त कंडिकाओं में चर्चा की गई अनुसार विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध मानी गई है।

अतः, अपीलार्थी के. एल. देवांगन द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध को सिद्ध कर के परिस्थितियों की पूर्ण श्रंखला स्थापित हो जाती है।

विशेष रूप से इसलिए भी, क्योंकि प्रतिपरीक्षण में भी शिकायतकर्ता ओंकार सिंह ने यह पुनः दोहराया है कि रिश्वत की राशि उनके द्वारा अपीलार्थी के.एल. देवांगन को दी गई थी।

इस तर्क पर अत्यधिक बल दिया गया है कि अपीलार्थी के. एल. देवांगन रिश्वत की राशि स्वीकार करने को तैयार नहीं था, किन्तु शिकायतकर्ता आग्रह कर रहा था। यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता न तो अपीलार्थी के.एल. देवांगन का यह प्रकरण है और न ही उसकी यह प्रतिरक्षा है कि उसे अपीलार्थी सुधा चौबे द्वारा उसकी ओर से रिश्वत की राशि स्वीकार करने के लिए प्रपीड़न किया गया था। अपीलार्थी के.एल. देवांगन एवं सुधा चौबे का शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि एक-दूसरे को सौंपने का निर्देश देने का आचरण केवल यह परिलक्षित करता है कि वे दोनोंसुरक्षित रहने का प्रयासकर रहे थे, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपीलार्थी के.एल. देवांगन का इस विषय में कोई भूमिका नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यद्यपि प्रारंभ में अपीलार्थी के.एल. देवांगन ने धन नहीं लिया, किन्तु बाद में उसने वह राशि प्राप्त की और उसे अपीलार्थी सुधा चौबे के कक्ष में उसे सौंप दिया।

यदि अपीलार्थी के.एल. देवांगन की कोई संलिप्तता नहीं थी, तो उसके लिए करेंसी नोट अपने हाथों में लेकर तत्पश्चात् अपीलार्थी सुधा चौबे को देने का कोई कारण नहीं था।

20. अपीलार्थी के.एल. देवांगन की संलिप्तता तथा अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहायता एवं सुकर बनाने के उसके कार्य को प्रबल संपुष्टि साक्ष्य तथा फिनॉल्फ्थेलीन परीक्षण की सकारात्मक प्रतिवेदन द्वारा भी समर्थन प्राप्त है। दोनों स्वतंत्र पंच साक्षियों श्रीमती दीप्ति बनर्जी, अभियोजन साक्षी-3 एवं उमेधा टोप्पो, अभियोजन साक्षी-10 ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अपीलार्थी के.एल. देवांगन के हाथ भी सोडियम कार्बोनेटके घोल में धुलवाए गए, जो गुलाबी हो

गया और घोल को बोतलों में सुरक्षित एवं सील किया गया। अपीलार्थी के.एल. देवांगन के हस्त प्रक्षालनवाली बोतल मेंफिनॉल्फ्थेलीन के अंश पाए गए।

वर्तमान प्रकरण ऐसा नहीं है जहाँ अपीलार्थी के.एल. देवांगन ने या तो शिकायतकर्ता द्वारा मिथ्या स्पष्टीकरण की कोई प्रतिरक्षा प्रस्तुत की हो अथवा यह प्रतिरक्षा ली हो कि किसी भ्रामक विश्वास के अंतर्गत शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि उसके द्वारा ली गई और अपीलार्थी सुधा चौबे को दी गई। अपीलार्थी के.एल. देवांगन की प्रतिरक्षा यह है कि उसने न तो रिश्वत की राशि स्वीकार की और न ही उसे अपीलार्थी सुधा चौबे को दी। अपीलार्थी के.एल. देवांगन इस प्रतिरक्षा को स्थापित करने में असफल रहा है।

21. तथापि, इस विषय का एक ऐसा पहलू है जिसमें हस्तक्षेप अपेक्षित है, यथा अपीलार्थी कन्हैया लाल देवांगन की अधिनियम की धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 12 के अंतर्गत दोषसिद्धि के संबंध में अपीलार्थी के. एल. देवांगन पर अधिनियम की धारा 12 की सहायता से धारा 13(1)(घ)के अंतर्गत अपराध कारित करने का आरोप लगाया गया है, जबकि धारा 12 केवल अधिनियम की धारा 7 या धारा 11के अंतर्गत अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड का प्रावधान करती है, और अधिनियम की धारा 13(1)(घ)के अंतर्गत अपराध के संबंध में अधिनियम की धारा 12 का कोई भी अनुप्रयोग नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः, अपीलार्थी के.एल. देवांगन को धारा 13(1)(घ)के अंतर्गत अपराध के दुष्प्रेरण हेतु अधिनियम की धारा 12 की सहायता से धारा 13(1)(घ)के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

अतः, अपीलार्थी के.एल. देवांगन की अधिनियम की धारा 13(1)(घ)के अंतर्गत दोषसिद्धि विधि में मान्य नहीं है l

22. अंतिम विश्लेषण में, श्रीमती सुधा चौबे की अपील गुणहीन होने के कारण, उनकी दोषसिद्धि पुष्ट की जाती है और अपील खारिज की जाती है।

अपीलार्थी के. एल. देवांगन की अपील के संबंध में, अपीलार्थी के. एल. देवांगन की अधिनियम की धारा 7 सहपठित धारा 12 के अंतर्गत दोषसिद्धि पुष्टी की जाती है। तथापि, अपीलार्थी के.एल. देवांगन की धारा 13(1)(घ) के अंतर्गत दोषसिद्धि अपास्त की जाती है।

तदनुसार, अपीलार्थी के.एल. देवांगन की अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है।

चूँकि दोनों अपीलार्थी जमानत पर हैं, अतः जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और अपीलार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें, ताकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के द्वारा की गई दोषसिद्धियों एवं अधिरोपित कारावास के दण्ड को भुगतने के लिए कारावास भेजा जा सके।

हस्ताक्षरित

मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायामूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv **Hemlata Goswami**